न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश बारेठ आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 874/2018

सरवण सिंह पुत्र श्री करतार सिंह आय 66 वर्ष जाति रामगढिया सिख निवासी 30 जी जी (चूनावढ़) तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

प्रकाश कौर पत्नी सुखवन्त सिंह पुत्र भूप सिंह जाति रामगढिया निवासी 30 जी जी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर

– – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत रास्ता

– :: उपस्थिति अभिभाषकगण :: –

1. श्री राजकुमार नागपाल –प्रार्थी
2. श्री ओमप्रकाश बतरा –अप्रार्थी

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 21.10.2019

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता उपरोक्त अनवान का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी चक 30 जी जी पटवार मण्डल चुनावढ के जमाबन्दी दिनांक 26.10.2012 के अनुसार खाता संख्या 74/76 के मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 13/2 की 0.126 हैक्टयर, 14 के 0.253 हैक्टयर, 15 की 0.253 हैक्टयर, खाता संख्या 75/79 के मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 11 की 0.253 हैक्टयर, 12 की 0.253 हैक्टयर, 13/1 की 0.126 हैक्टयर, व खाता संख्या 46/5 के मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 8/2 के 0.126 हैक्टयर, 9 में 0.253 हैक्टयर, 10 में 0.253 हैक्टयर, कृषि भूमि है। जिसका प्रार्थी खातेदार मालिक व काश्तकार है। चक 30 जी जी पटवार हल्का चूनावढ के जमाबन्दी सम्वत् 2063 से 2072 के खाता संख्या 53/55 के मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 1 की 0.253 हैक्टयर, 2 के 0.253 हैक्टयर व 3/1 की 0.127 हैक्टयर कृषि अप्रार्थी संख्या भूप सिंह के नाम बतौर खातेदारी दर्ज है वा अप्रार्थी उसका मालिक व काश्तकार है। प्रार्थी को अपने उपरोक्त वर्णित रकबा में जाने के लिए कोई स्वीकत रास्ता नहीं है। मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 1 की नुकर तक सरकारी रास्ता मंजूरशुद्धा है। प्रार्थी पिछले कई वर्षों से अपने खेत में मुरब्बा नम्बर 58 के

किला नम्बर 1 में से होकर अपने खेत में आ जा रहा है। मगर यह रास्ता सरकारी स्वीकृत रास्ता नहीं है। प्रार्थी को अपने रकबा में आने जाने के लिए रास्ता की आवश्यकता है जो चक 30 जी जी के मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 1 में से सुविधाजनक है और उसके अलावा और कोई सुविधाजनक रास्ता प्रार्थी के रकबा के पास नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित अपने रकबा में आने जाने के लिए चक 30 जी जी के मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 1 में से दो दो बिस्वा रास्ता मंजूर किया जावे ताकि प्रार्थी रकबा में काश्त हेतु आ जा सके। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। दिनांक 15.01.2014 को अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्यानुसार प्रार्थी के नाम चक 30 जी जी में रकबा है लेकिन कौनसा रकबा है, इसकी अप्रार्थी को जानकारी नहीं है तथा प्रार्थी को अपनी जमीन में जाने के लिए रास्ता है। अप्रार्थी के पास केवल चक 30 जी जी मुरब्बा नम्बर 58 में किला नम्बर 1, 2, 3 में 2–10 बीघा रकबा है किला नम्बर 1 में सरकारी खाल है दोनों तरफ जाता है तथा अप्रार्थी के पास बहुत ही कम रकबा होने से अप्रार्थी भूमि से किसी रास्ता को स्वीकृत नहीं किया जा सकता इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है। प्रार्थी को जाने के लिये दो रास्ते पहले है इसलिए अप्रार्थी भूमि पर रास्ता नहीं दिया जा सकता। मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 1 में कोई रास्ता नहीं है ना ही प्रार्थी इस रास्ते में आ रहा है ना ही सरकारी खाल के साथ रास्ता मंजूर नहीं किया जा सकता इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा चक 30 जी जी मुरब्बा नम्बर 58 के सभा काश्तकारों को पक्षकार नहीं बनाया इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। अप्रार्थी के पास केवल 2 बीघा 5 बिस्वा भूमि है यदि इसमें रास्ता मंजूर किया जावेगा तो अप्रार्थी के पास बहुत कम भूमि रह जायगी। मुरब्बा नम्बर 58 किला नम्बर 1 में रास्ता मंजूर कानुनन नहीं किया जा सकता। यदि किसी कारणवश रास्ता मंजूर भी किया जाता है तो रास्ते के बदले अप्रार्थी को जमीन दी जावे ताकि अप्रार्थी की हकरसी हो सके। दिनांक 06.05.2017 को साक्ष्य वादी में सरवणसिंह का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया। दिनाक 22.12.2014 को तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा रिपोर्ट पेश की गई। दिनांक 24.03.2015 को श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर से हस्तगत प्रकरण में मुन्तकिली प्रार्थना पर बिन्दुवार टिप्पणी चाही गई जिसकी पालना में दिनांक 21.04.2015 को बिन्दुवार टिप्पणी प्रेषित की गई। दिनांक 06.02.2017 को श्रीमान् जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से प्राप्त आदेश दिनांक 09.01.2017 द्वारा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। दिनांक 17.02.2017 को प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत अप्रार्थी संख्या 1 भूप सिंह के स्थान पर श्रीमती प्रकाश कौर पत्नी सुखवन्तसिंह पुत्र भूप सिंह स्थापित किये जाने बाबत स्वीकार किया गया एवं अप्रार्थी संख्या 1 भूपसिंह के स्थान पर श्रीमती प्रकाश कौर पत्नी सुखवन्त सिंह पुत्र भूपसिंह जाति रामगढिया सिख साकिलन 30 जी जी तहसील व जिला श्रीगंगानगर स्थापित किया गया एवं अप्रार्थी संख्या 1 प्रकाश कौर को जरिए नोटिस तलब किया गया। दिनांक 15.12.2017 को

अप्रार्थी संख्या 1 प्रकाश कौर स्वयं उपस्थित हुई एवं निवेदन किया कि भूपसिंह जो उसका ससुर है, उनका जवाब ही उसकी तरफ से जवाब माना जावे।

विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी जाकर दिनांक 22.12.2018 को प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण का निर्णय किया गया। मुताबिक निर्णय प्रार्थी को चक 30 जी जी मरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 1 में से एक बिस्वा रास्ता स्वीकत किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अप्रार्थी द्वारा श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के अपील प्रस्तुत की गई। पत्रावली श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के पत्र कमांक 557 दिनांक 22.10.2018 के संलग्न आदेश दिनांक 03.10.2018 के साथ इस न्यायालय को प्राप्त हुई। श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर पारित आदेश दिनांक 03.10. 2018 में इस निर्देश के साथ प्रकरण रिमाण्ड किया गया कि सभी पक्षकारों को सुन कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुए विधि अनुसार पुनः निर्णय पारित किया जावे। प्रकरण को पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 20.09.2019 को जवाब प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार प्रार्थी का अपने खेत में आना जाना चालू है महज परेशान करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी के पास केवल एक बीघा रकबा के अलावा और कोई भूमि नहीं है। इसलिए कानूनन रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता। प्रार्थी के अपने खेत के मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 1 में रास्ता है तथा मु.नं. 58 के साथ चिपता हुआ रकबा प्रार्थी का खुद का है उसे अपने खेत में जाकर मु.नं. 58 में पहुंचा जा सकता है। उजरात मजीद– अप्रार्थी के नाम मु.नं. 58 में किला नम्बर 1 में 0.253 यानि कि एक बीघा जमीन लघु कृषि की परिभाषा में आता है। जिसमें कानूनन रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता। प्रार्थी के अप्रार्थी के साथ लगती जमीन है, यदि किसी कारण वश रास्ता दिया जाता है तो साथ चिपती हुई जमीन में रास्ता दिया जावे। लिहाजा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

–:: आदेश ::–

बहस वकील उभ्यपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी के पास चाहे गये रास्ते के अलवा अपनी कृषि भूमि में आने जाने हेतु अन्य कोई सुविधाजनक रास्ते का विकल्प नहीं है। प्रार्थी को रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के अन्तर्गत चक 30 जी जी मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 1 में से एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। रास्ते के मुआवजे के फलस्वरूप डी.एल.सी. का दुगना तहसील कार्यालय में जमा करवाने के उपरान्त उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में रास्ते का नियमानुसार

अमल दरामद किया जावे। जमा राशि तहसीलदार जिसकी भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया गया है उसको अपने स्तर से वितरित करेगा।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे।

पत्रावली निर्णयशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकलीम दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 21.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बारैठ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2019.11.25 10:57:45 IST
Reason: SelfAttested
Location: